न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 02/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोर्डेन्ट्स
महन्त दयालदास चेला गजानन्दजी स्वामी निवासी कोसाणा तहसील पीपाइशहर जिला जोधपुर		1. जगदीश पुत्र पुटाराम 2. बुधाराम पुत्र पुटाराम 3. सरपंच, ग्राम पंचायत रावनियानी हाल ग्राम पंचायत मालावास पंचायत समिति पीपाड शहर, जोधपुर 4. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक पीपाडशहर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 507 जो सरपंच ग्राम पंचायत रावनियाना द्वारा पारित।

1. अपीलान्ट्स - श्री अब्दुल सलीम खान, अधिवक्ता ।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2- श्री मो. फारूख खान अधिवक्ता।
3. रेस्पोडेण्ट सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: **निर्णय** :: **दिनांकः-** 06/06/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालावास की सरहद में खेत खसरा नंबर 86 वक्त बन्दोबस्त डोली बनाम मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी साकिन कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपाराम सन्त साकिन कोसाणा पुजारी की भूमि आई हुई थी जिस पर निरन्तर निर्बाद रूप से मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी बहैसियत खुदकाश्त काबिज व काश्त रहे है। जिनका नाम हटाकर जरिये आलौच्य नामान्तरकरण स्वयं खातेदारी बन गये जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। आलोच्य नामान्तरकरण सं. 507 विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने से काबिले निरस्त है। मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी सारस्वत नाबालिग है तथा भिन्न-भिन्न लोगों के जरिये काश्त करवाकर दादु द्वारा की व्यवस्था की जा रही है। आलौच्य नामान्तरकरण के जरिये प्रत्यार्थी के पिता पुटाराम जो कि एक ग्रहस्थी थे, ने अपने आपको रामाकिशन का चेला बताते हुए खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि दादुपंथियों का यह रिवाज रहा है कि ब्रहमचारी ही इस पंथ का चेला हो सकता है। इस प्रकार प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 के पिता पुटाराम ने हल्का पटवारी से मिली भगत कर अपने आपको खातेदार घोषित करवा दिया। वक्त बन्दोबस्त जमाबंदी के कॉलम सं. 3 में भूमिधारी की जगह डोली मंदिर श्रीदादुपंथी बएतमाम पुजारी रामाकिशन अंकित किया गया था वह अगले कॉलम में खुदकाश्त अंकित किया था बाद में डोली मंदिर की जगह राजस्थान सरकार अंकित कर दिया एंव उपभोक्ता के रूप में कृषक का नाम अंकित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी बालब्रहमचारी है तथा ग्राम कोसाणा स्थित द्वारा के मंहत है। दादु द्वारा की देखरेख व रखरखाव अपने स्वयं के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 भी ग्रहस्थी है इस पंथ से संबंध भी नहीं रखते है। तथा न ही इनका दादुद्वारे से संबंध रहा है

उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर

प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 ने अपना नाम खातेदार के रूप में अंकित करवा दिया एवं इस भूमि पर ऋण भी बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्राप्त कर लिया। राज्य सरकार द्वारा भिन्न भिन्न परिपत्र जारी कर यह निर्देश भी दिये गये थे कि डोली मंदिर का नाम अगर हटा दिया है तो पुनः मंदिरों का नाम दर्ज किया जावें। प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी पकड़ राजस्व कर्मचारियों पर इतनी मजबूत कर दी कि हल्का पटवारी एवं स्वयं तहसीलदार इन परिपत्रों को भी भूल गये एंव डोली मंदिर का नाम दर्ज नहीं किया।

अतः अपील पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 507 मौजा मालावास को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी दादुद्वारा दादुपंथी कोसाणा का मंहत है जिसको आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही। नामान्तरकरण अपीलार्थी के पीठ पीछे भरा गया था। अपीलार्थी एवं इस पंथ के लोगों को सुनवाई का बिना अवसर दिये पारित किया गया था। हाल ही में प्रार्थी ने दादुद्वारे की व्यवस्था हेतु रजवाडे की समय की बही देखी तो पता चला कि दादुद्वारे की जमीन ग्राम मालावास की सरहद में आई हुई है। परन्तु इसमें इस समुदाय के लोगों का नाम हटाकर अन्य लोग बतौर खातेदार बन गये है। तब हल्का पटवारी से जानकारी ली तो मालुम चला कि वर्तमान में भूमि प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है व इनके पिता ने आपसी मिलावट कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया, तब प्रार्थी ने नकल हेतु दिनांक 27.08.2019 को आवेदन किया जिस पर अधिवक्ता की सलाह प्राप्त कर सर्वे की व्यवस्था कर यह अपील आज ही प्रस्तुत है। प्रार्थी ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब सदभावी था जो क्षम्य योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावें।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हें शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्टस 1 व 2 की ओर श्री मो. फारूख खान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्सटस सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम मालावास की सरहद में खेत खसरा नंबर 86 बक्त बन्दोबस्त डोली बनाम मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी साकीन कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपाराम सन्त साकीन कोसाणा पुजारी की भूमि जिस पर निरन्तर निर्बाध रूप से मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी बहैसियत खुदकाश्त काबिज काश्त रहे जिसका नाम हटाकर जरिये आलौच्य नामान्तरकरण स्वयं खातेदार बन गये जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थी ने अपील में किसी भी प्रकार का कोई आधार या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिसके आधार पर अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार मिला हो। अपीलार्थी ने अपने आपको बालब्रहमचारी महन्त बताया जिसका राजस्व रेकर्ड में कही पर भी अंकन नही है

उपखण्ड अधिकारी

अपीलार्थी ने बिल्कुल निराधार अपील प्रस्तुत की है जिसका प्रत्यर्थी तमाम आधार खारिज करता है। पद सं. 1 भ्रामक तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया है क्योंकि आलौच्य नामान्तरकरण सं. 507 ग्राम पंचायत राविनियाणा द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया है। ग्राम मालावास की सरहद में खेत खसरा नंबर 86 रकबा 4.6598 हैक्टयर स्थित है जो प्रत्यर्थीगण सं. 1 के साथ साथ अन्य के नाम नोट डोली मन्दिर श्री द्वारा दादुपंथी साद के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद है। अपीलार्थी ने अपने आपको बालब्रहमचारी तथा ग्राम कोसाणा का महन्त बताते हुए उक्त अपील आधार प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थी ने अपने आपको महन्त होने के किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी सबूत श्रीमान न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रस्तुत ही नहीं किये इसलिए भी उक्त आधार काबिल खारिज के है। वादग्रस्त आराजी पर रामाकिशन कृषिक की हैसियत से काबिज काश्त रहा जो जमाबंदी कालम सं. 3 में खातेदार की जगर राजस्थान सरकार दर्ज है। तथा उपभोक्ता के रूप में रामाकिशन काश्तकार के दर्ज है जो काश्तकार होने की वजह से ही दर्ज किया गया था। अपीलार्थी बार बार बालब्रहमचारी बताया जबकि इसका कोई आधार या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी हक हिस्सा की जमीन पर ही ऋण प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार कांश्तकार के रूप में वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपील प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज के है।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील निराधार होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें।

रेस्पोडेण्टस सं. 2 की ओर से अपील का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम मालावास की सरहद में खेत खसरा नं. 86 वक्त बन्दोबस्त डोली बनाम मन्दिर श्रीद्वारा दादुपंथी साकीन कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपाराम सन्त साकिन कोसाणा पुजारी की भूमि जिस पर निरन्तर निर्बाध रूप से मन्दिर श्री द्वारा दादूपंथी बहैसियत खुदकाश्त काबिज काश्त रहे जिसका नाम हटाकर जरिये अलौच्य नामान्तरकरण स्वयं खातेदार बन गये जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थी ने अपील में किसी भी प्रकार का कोई आधार पर अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार मिला हो। अपीलार्थी ने अपने आपको बालब्रहमचारी महन्त बताया जिसका राजस्व रेकर्ड में कही पर भी अंकन नहीं है अपीलार्थी ने बिल्कुल निराधार अपील प्रस्तुत की है जिसका रेस्पोडेण्टस तमाम आधार खारिज करता है। आलौच्य नामान्तरकरण सं. 507 ग्राम पंचायत राविनयाना द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया है। ग्राम मालावास की सरहद में खेत खसरा नंबर 86 रकबा 4.6598 हैक्टयर स्थित है जो प्रत्यर्थीगण सं. 1 के साथ साथ अन्य के नाम नोट डोली मन्दिर श्री द्वारा दादुपंथी साद के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद है। अपीलार्थी ने अपने आपको बालब्रहमचारी तथा ग्राम कोसाणा का महन्त बताते हुए उक्त अपील आधार प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थी ने अपने आपको महन्त होने के किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी सबूत श्रीमान न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रस्तुत ही नहीं किये इसलिए भी उक्त आधार काबिल खारिज के है। वादग्रस्त

आराजी पर रामाकिशन कृषिक की हैसियत से काबिज काश्त रहा जो जमाबंदी कालम सं. 3 में खातेदार की जगर राजस्थान सरकार दर्ज है। तथा उपभोक्ता के रूप में रामाकिशन काश्तकार के दर्ज है जो काश्तकार होने की वजह से ही दर्ज किया गया था। अपीलार्थी बार बार बालब्रहमचारी बताया जबकि इसका कोई आधार या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार काश्तकार है अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी हक हिस्सा की जमीन पर ही ऋण प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 2 सहखातेदार काश्तकार के रूप में वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपील प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज के हैं।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील निराधार होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसका रेस्पोडेण्ट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही किया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। अपीलार्थी द्वारा लिखत बहस पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालावास की राजस्व सीमा में खसरा सं. 86 एक डोली बनाम मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी साकिन कोसाणा रामाकिशन चेला रूपाराम संत साकिन कोसानी पुजारी की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी बहेसियत रामाकिशन काश्त रहे जिनका नाम हटा प्रत्यार्थीगण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया जो नामान्तरकरण सं. 507 है। पुटाराम अपने आपको रामाकिशन का चेला बताकर नामांतरकरण दर्ज करवा लिया पुटाराम रामाकिशन के भी चेला नहीं थे न ही पुजारी रहे इसलिए पुटाराम के नाम से नामान्तरकरण भरां जाना कतई विधि पूर्ण नहीं है। वक्त बन्दोबस्त जमाबंदी के कॉलम सं. 3 में भूमिधारी के जगह डोली मंदिर दादु पुजा एतमाम अंकित किया गया था। व अगले कॉलम्म खुदकाश्त अंकित लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश डोली मंदिर की जगर राजस्थान सरकार अंकित लेकिन उपभोक्ता के अनुसार विधि विरूद्ध दर्ज करवाया था ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों को करने का अधिकार नहीं है। इसलिए डोली की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज नहीं किया जा सकता अगर कर दिया गया हो तो राजस्थान सरकार के अलग अलग समय पर प्रपत्र से मंदिर की डोली की भूमि को पुनः नाबालिग मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अपने निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय लेकर आदेश पारित कर सिद्धान्त पारित किये गये है कि डोली भूमि डोली की रहेगी कभी भी उपभोक्ता व कृषक नहीं रहेगी। वर्तमान में भी पुटाराम व पुटाराम के वारिसान द्वारा मंदिर की कोई देखभाल पूजा अर्चना दादुद्वारा का संचालन नहीं किया जा रहा है बल्कि अपीलार्थी ने बहेसियत महन्त रामाकिशन के चेलों पिढीधर के पिढी अंतिम पीढी की हेसियत से महन्त का पद संभाल कर रखा, इसलिए श्री मंदिर दादुद्वारा कोसाना की भूमि की देख रेख सार संभाल कृषि एवं राजस्व रेकर्ड को मंदिर के नाम से चलाने का दायित्व का निर्वहन भी अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन प्रत्यार्थीगण ने उक्त कार्य में अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज होने के कारण व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया है। इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन शहर

प्रत्यार्थीगण अपने नाम की भूमि होने के कारण अपने नाम ऋण प्राप्त कर लिया बैंक ने मूल किस्त प्रकृति को जांचे बगैर ऋण स्वीकृत कर दिया जो भी विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने वक्त बंदोबस्त मिसल का सही से अवलोकन नहीं किया तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की सही से तहकिकात नहीं की आनन फानन में मिली भगती कर उक्त नामान्तरकरण में व्यक्ति विशेष का नाम खातेदार व काश्त का दर्ज कर दिया जो खारिज किया जाना आवश्यक है पूर्व में जमाबंदी 2024 से 2027 में भी उक्त भूमि को डोली की भूमि दर्ज किया गया जमाबंदी 2020 से 2023 में भी उक्त भूमि को डोली भूमि दर्ज किया गया जमाबंदी 2053 से 2056 में गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज करवा कर पुटाराम ने व चम्पादेवी ने उक्त भूमि में खातेदार के रूप में नाम दर्ज करवाया जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

लिहाजा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रावनियाना स्वीकृत में खसरा सं. 86 का नामान्तरकरण खारिज कर नये सिरे जांच कर वास्तविक हकदार मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी कोसाना के नाम दर्ज किये जाने सादर आदेश फरमावे संरक्षक अपीलार्थी के नाम दर्ज करवाने के सादर आदेश फरमावें।

रेस्पोडेण्टस द्वारा लिखित बहस पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा म्यूटेशन नंबर 507 ग्राम पंचायत रावनियाना द्वारा पारित म्यूटेशन बाबत अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त मंदिर दादु पंथी की कृषि भूमि चेला रामकिशन चेला रूपाराम संत के नाम से वक्त बन्दोबस्त रेकर्ड कायम होना बता रहे है। जबकि मिसल बन्दोबस्त के पर्चा लगान में कृषक पुटिया वल्द केनाराम कौम माली सा.कोसाणा खातेदार दर्ज है वक्त सेटलमेन्ट खसरा नंबर 86 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर पुटिया पुत्र केना काश्त करते थे इस वजह से खातेदार दर्ज किया गया है। मौके पर इस भूमि पर लगातार पुटिया वल्द केना मानी का कब्जा रहा है व आज दिन भी उनके उतराधिकारी मौके पर काबिज है। अपीलार्थी दयालदास ने इस भूमि पर कभी भी काश्त कार्य नहीं किया क्योंकि उस समय दयालदास का जन्म भी नहीं हुआ होगा। महन्त रामाकिशन के जीते जी ही इस भूमि पर पुटिया वल्द केना माली ही काश्त करते थे एवं इन्होनें ही महाराज की सेवा चाकरी की थी महन्त रामाकिशन ने ही पुटिया को अपना सबकुछ सुपुर्द किया था। सरकार द्वारा खेती बाबत जो पासबुक जारी की जाती है वो भी पुटाराम चेला रामाकिशन नाम से जारी की गई है एवं पुटाराम के फौत होने के बाद पुटाराम के वारिसान के नाम विधिवत रूप से म्यूटेशन भरा गया था इसलिए दयालदास को उपरोक्त अपील करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। रामाकिशन चेला रूपा संत पुजारी ही थे जो स्वयं महन्त नहीं थे अपीलाण्ट दयालदास को इस बात का ज्ञान ही नहीं है एवं पुटिया ही उक्त भूमि पर काश्त करता था उस समय यही नियम था कि कृषक का नाम दर्ज होता था जो नियमविरूद्ध नहीं था वर्ष 1993 में राज्य सरकार के आदेशानुसार डोलियों में खातेदारों के नाम हटाये परन्तु इस खातेदारी को यथावत रखा था क्योंकि उक्त भूमि में खातेदार दर्ज था। अपीलार्थी ने अपने आप को ब्रहमचारी व महन्त बताया है परन्तु यह नहीं बताया कि इसको इस द्वारे का महन्त कब घोषित किया गया व किसके द्वार महन्ताई सौपी गई थी। पुटाराम गृहस्थी थे गृहस्थी किसी भी महात्मा का चेला हो सकता है। राजस्व रेकर्ड में पुटाराम चेला रामाकिशन दर्ज है जो विधिवत दर्ज किया गया है

उपखण्ड अधिकारी

जबकि दयालदास केवल भूमि हडपने की नियत से यह अपील प्रस्तुत कर रहा है संत रामकिशन की सेवा व दादु द्वारे की सेवा पुटाराम ने ही की थी इसलिए उक्त अपील काबिले खारिज है। इस बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी पूर्व में वाद विचाराधीन था। अपीलार्थी केवल दस-बारह वर्ष पूर्व ही जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से फर्जी रूप से महन्त बना है जिसके पास महन्त होने का कोई सक्षम दस्तावेज नहीं है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील काबिले खारिज है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भारी हर्जे खर्चे के साथ काबिल खारिज फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम मालावास की जमाबंदी संवत् 2011-2030 के खसरा नंबर 86 में डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा पुजारी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2016-2019 व जमाबंदी संवत् 2020-2023 के राजस्व रेकर्ड में भी डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा पुजारी के नाम से ही इन्द्राज था। उसके बाद राजस्व जमाबंदी संवत् 2024-2027, जमाबंदी संवत् 2028-2031, जमाबंदी संवत् 2032-2035, जमाबंदी संवत् 2036-2039 के राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा खातेदार के स्थान पर केवल रामकिशन चैला रूपाराम कोम संत सा. कोसाणा खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2024-2027 में डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा खातेदार के रूप में इन्द्राज प्रविष्टि में से डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा को गोला कर काट दिया गया किन्तु खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी में से ऐसी कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गई जिसके आधार पर डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा को काटा जाना चाहिए था। राजस्व जमाबंदी संवत् 2040-2043 में रामाकिशन चेला रूपाराम कौम संत सा. कोसाणा खातेदार के रूप में इन्द्राज था किन्तु इसी जमाबंदी में नोट लगाकर नामान्तरकरण सं. 507 के जरिये पूटाराम चेला रामाकिशन कौम संत(माली) सा. कोसाणा खातेदार के रूप में प्रविष्टि इन्द्राज की गई। राजस्व जमाबंदी संवत् 2045-2048 में .पूटाराम चेला रामाकिशन संत (माली) सा.कोसाणा खातेदार के स्थान पर पुटाराम के वारिसान चम्पादेवी बेवा पूटाराम, जगदीश, बुधाराम पिसरान पूटाराम (संत) माली सा. कोसाणा खातेदार के रूप में जरिये नामान्तरकरण सं. 611 राजस्व रेकर्ड में नई प्रविष्टि इन्द्राज की गई। राजस्व जमाबंदी संवत् 2053-2056 में चम्पादेवी बेवा पूटाराम, जगदीश, बुधाराम पिसरान पूटाराम (संत) माली सा. कोसाणा खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक पीपाड के रूप में प्रविष्टि इन्द्राज की गई जिसमें विशेष विवरण में नोट लगाकर ढोली बनाम मंदिर श्रीद्वारा दादुपंथी सादू की प्रविष्टि की गई। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075-2078 में चम्पादेवी बेवा पूटाराम, जगदीश, बुधाराम पिसरान पूटाराम (संत) माली सा. कोसाणा खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक पीपाड शहर (नोट- डोली मंदिर श्री द्वारा दादुपन्ति सादू) के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। उपरोक्त समस्त राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

ग्राम मालावास के खसरा नंबर 86 पूर्व में डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। जिसका बाद में जमाबंदी संवत् 2024-2027 में डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा को गोला कर काटकर केवल रामाकिशन चेला रूपाराम संत सा. कोसाणा खातेदार का ही इन्द्राज किया गया जिसका आधार खतौनी बन्दोबस्त में प्रविष्टि नहीं की गई। उसी राजस्व जमाबंदी संवत् 2040-2043 में जरिये नामान्तरकरण सं. 507 डोली बनाम मंदिर श्री द्वारा दादूपंथी सा. कोसाणा बएतमाम रामाकिशन चेला रूपराम संत सा. कोसाणा के स्थान पर पूटाराम चेला रामाकिशन कौम संत(माली) सा. कोसाणा के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत रावनियाना द्वारा पुटाराम को रामाकिशन का चेला मानकर नामान्तरकण सं. 507 स्वीकृत किया गया, जबकि न्यायिक दृष्टान्त बलेदव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्णजी महाराज आर.आर.डी. 1994 में अभिनिर्धारित किया गया कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। जबकि रेस्पोडेण्टस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया कि सरपंच, ग्राम पंचायत रावनियाना द्वारा किस दस्तावेजात के आधार पर पुटाराम को रामाकिशन का चेला मानकर नामान्तरकरण सं. 507 स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में स्पष्ट किया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत नामांतकरण अपील संख्या 02/2019 महन्त दयालदास बनाम जगदीश वगैरा, ग्राम पंचायत-रावनियाना अंतर्गत धारा 75, राज.-भू-राजस्व अधिनियम-1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 507 ग्राम- मालावास, तहसील-पीपाड़ शहर, निर्णय को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06/06/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा